जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमन्द

निःशुल्क विधिक सहायता

आपका अधिकार – हमारा कर्तव्य

–: सरलीकरण एवं संकलनकर्ता :–

मनीष कुमार वैष्णव (R.J.S.)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजसमन्द

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजसमन्द

राघवेन्द्र काछवाल

आमुख

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता सम्बन्धी प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने के लिए ''निःशुल्क विधिक सहायता आपका-अधिकार-हमारा कर्तव्य'' नामक लघु पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 'न्याय सबके लिए' की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए इस लघु पुस्तिका के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी आमजन तक सरल भाषा में पहुंचाने का अच्छा प्रयास किया गया है। इस पुस्तिका को तैयार करने के लिए मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष कुमार वैष्णव के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं तथा इस पुस्तिका की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

राघवेन्द्र काछवाल

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द

मनीष कुमार वैष्णव

संदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में समाज के गरीब व कमजोर वर्गो को नि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान किए गए है। मेरे द्वारा कमजोर वर्गो तक नि:शुल्क विधिक सहायता से सम्बन्धित जानकारी सरल भाषा में पहुँचाने के लिए इस विषय से सम्बन्धित सामग्री के संकलन का प्रयास किया गया है। आशा है कि ''नि:शुल्क विधिक सहायता आपका-अधिकार-हमारा कर्तव्य'' लघु पुस्तिका में वर्णित जानकारी से आमजन लाभांवित होंगे। इस पुस्तिका को तैयार करने में माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द का मार्गदर्शन व सहयोग रहा जिसके लिए में आभारी हूँ।

मनीष कुमार वैष्णव

1. कानूनी सेवाएं क्या हैं?

कानूनी सेवाओं में समाज के उन कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है, जो विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के दायरे में आते हैं। इसमें कानूनी जागरूकता शिविरों, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से कानूनी साक्षरता फैलाने और लंबित या भविष्य में दायर होने वाले विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करके कानूनी जागरूकता पैदा करना भी शामिल है। कानूनी सेवाओं में लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और विधानों के तहत उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली सुविधा भी शामिल है।

❍❖❍

2. नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है ?

विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत समाज के निम्नलिखित वर्ग के व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है:- (क) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, (ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लेखित मानव तस्करी या बेगार का शिकार, (ग) एक महिला या बच्चा, (घ) कोई मानसिक रूप से बीमार या विषेश योग्यजन व्यक्ति . (ड) अवांछनीय अभाव की परिस्थितियों में कोई व्यक्ति जैसे कि सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूंकप या औद्योगिक आपदा का शिकार व्यक्ति या (च) एक औद्योगिक कर्मचारी, या (छ) हिरासत में निरूद्ध व्यक्ति (ज) उपयुक्त के अलावा ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम हो ।

3. क्या एक महिला अपनी आय / आर्थिक स्थिति से परे निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है?

हां, एक महिला अपनी आय या वित्तीय स्थिति से परे निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हकदार है।

4. एक बच्चा किस उम्र तक निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है?

एक बच्चा 18 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है।

❍❖❍

5. क्या वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं?

यदि वरिष्ठ नागरिक महिला हो, अनूसूचित जाति या जनजाति की सदस्य हो, वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम हो, अभिरक्षा में हो या धारा-12 की अन्य किसी श्रेणी में पात्र हो तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

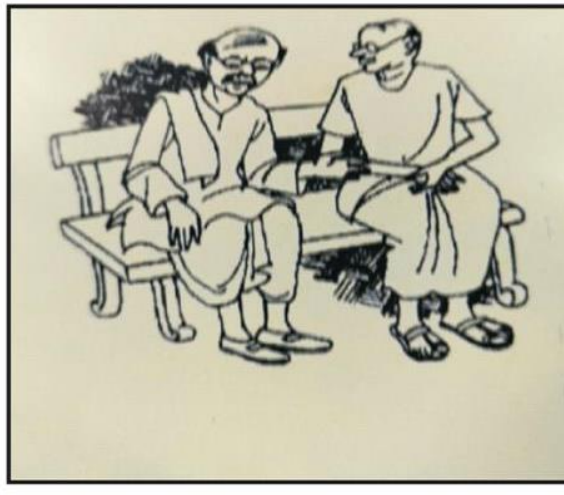

6. क्या मैं निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हूं यदि मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है/ओर मेरे पास मामले के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है?

हां, रू. 3 लाख से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। धारा 13 (2) के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के संबंध में दिया गया शपथ पत्र आमतौर पर उसे अधिनियम के तहत कानूनी सेवाओं के हकदार बनाने के लिए पर्याप्त माना जाता है, जब तक कि प्राधिकरण के पास उसे प्रश्नगत करने या उस पर अविश्वास का कारण न हो।

❍❖❍

7. विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सेवाओं/ सहायता की क्या प्रकृति है व इसमे क्या शामिल है?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 2(ग) के अनुसार, ''कानूनी सेवाओं'' में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या न्यायाधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य कानूनी कार्यवाही के संचालन में कोई भी सेवा और किसी भी कानूनी मामले पर सलाह देना शामिल है।

निःशुल्क कानूनी सेवाओं में लाभार्थियों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कल्याणकारी विधियों और योजनाओं के तहत लाभों तक पहुंचने के लिए सहायता और सलाह प्रदान करना भी और किसी भी अन्य तरीके से न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। निःशुल्क कानूनी सहायता में निम्न शामिल हैं:-

1. किसी अधिवक्ता द्वारा कानूनी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व।
2. प्रक्रिया शुल्क का भुगतान, गवाहों के खर्च और उपयुक्त मामलों में किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए व्यय या अन्य सभी शुल्क।
3. कानूनी कार्यवाही में दलीलों, अपीलों के ज्ञापन, पेपर।

❍❖❍

8. निःशुल्क कानूनी सेवाओं/सहायता प्राप्त करने के लिए मुझे कहां जाना चाहिए?

मामले के क्षेत्राधिकार के आधार पर कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित उपयुक्त प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है:-

(क) तालुका विधिक सेवा समिति जो उस तहसील के न्यायालय परिसर में है या

(ख) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या

(ग) संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या

(घ) संबंधित उच्च न्यायालय के परिसर में स्थित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या

(ङ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति।

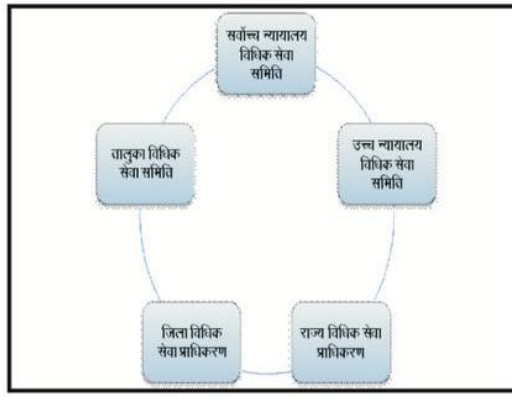

9. मैं निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपने निकटतम विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध आवेदन पत्र प्राप्त कर इसे भरकर प्राधिकरण में जमा कर सकते हैं, या आवेदन को प्राधिकरण को पोस्ट कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस पर भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी नालसा लीगल सर्विस एप, नालसा पोर्टल (https://nalsa.gov.in/) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की वेबसाइट से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय डाक विभाग के कार्यालय से भी निःशुल्क विधिक सहायता का आवेदन व प्रिंटेड पते का लिफाफा मुफ्त में प्राप्त कर बिना खर्च प्राधिकरण को भेज सकता है। आप एक साधारण कागज पर लिखित रूप में भी आवेदन कर सकते हैं जिसमें आपके नाम, लिंग, आवासीय पता, रोजगार की स्थिति, राष्ट्रीयता, चाहे एससी/एसटी (सबूत के साथ), प्रतिमाह आय (शपथ पत्र के साथ), मामला जिसके लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता है, कानूनी सहायता मांगने का कारण आदि आवश्यक विवरण भरकर इसे व्यक्तिगत रूप से या पोस्ट द्वारा भेजकर जमा करवा सकते हैं।

❍❖❍

10. क्या कोई अन्य जानकारी है जो मुझे अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

आपको पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण को पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करना होगा, जिसमें पहचान प्रमाण, निःशुल्क कानूनी सेवाओं के हकदार होने के लिए किसी विशेष श्रेणी से संबंधित होने का प्रमाण पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन के लिए, वेबसाइट पर आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

(HTTPS://NALSA.GOV.IN/)

11. क्या मुझे निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने और जमा करने के लिए कोई शुल्क देना होगा?

नहीं, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको आवेदन पत्र प्राप्त करने और जमा करने दोनों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। कानूनी सलाह लेने के लिए आप संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जा सकते हैं या हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।

❍❖❍

12. निरक्षर व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

जब ऐसा व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण से सम्पर्क करता है तब ऐसे व्यक्तियों को संबंधित प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, पैनल अधिवक्ताओं आदि द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। पैरालीगल स्वयं सेवक (PLVs) भी ऐसे आवेदकों की आवश्यक जानकारी एकत्र कर सकते हैं और उनके लिए फॉर्म भर सकते हैं, आवेदक को उस पर अंगूठे का निशान लगाना आवश्यक है।

❍❖❍

13. मैं किस प्रकार के मामलों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता हूं?

निःशुल्क विधिक सहायता में सभी प्रकार के मामलों को शामिल किया जाता है। धारा 13 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो धारा-12 के तहत किसी भी मानदंड को पूरा करता है, वह कानूनी सेवाएं प्राप्त करने का हकदार है, बशर्ते कि संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति के पास प्रकरण चलाने या बचाव करने के लिए पर्याप्त आधार है।

❍❖❍

14. क्या मैं नि:शुल्क कानूनी सेवाओं/ सहायता के तहत अपनी पसंद का वकील चुन सकता हूं?

हां, नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के तहत अपनी पसंद के वकील की सेवाओं का लाभ उठाना संभव है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 7 (6) के अनुसार, कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन की जांच सदस्य-सचिव या सचिव द्वारा की जाएगी और यदि आवेदक ने पैनल में अपने/अपनी पसंद के वकील का उल्लेख/अभिव्यक्ति की है, तो ऐसे सदस्य-सचिव या सचिव उस पर विचार कर सकते हैं और उसे अनुमति दे सकते हैं।

15. क्या मुझे केवल निःशुल्क कानूनी परामर्श मिल सकता है, भले ही मैं न्यायालय में मामला न चलाना चाहूं?

हां, निःशुल्क कानूनी सहायता/सेवाओं के तहत किसी भी प्रकार का कानूनी परामर्श प्राप्त करना संभव है।

16. क्या मुझे मामले के किसी भी चरण में नि:शुल्क कानूनी सहायता वकील मिल सकता है? क्या मुझे अपील के समय भी नि:शुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है, भले ही मेरे पास अपील स्तर से पहले मेरा अपना निजी वकील था?

यदि आप 1987 के अधिनियम की धारा-12 के तहत कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं तो आप मामले के किसी भी चरण में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, यहां तक कि यदि आपके पास पहले एक निजी वकील था और आपको केवल अपील के चरण में नि:शुल्क कानूनी सहायता के तहत एक वकील की आवश्यकता है, तो आप नि:शुल्क विधिक सहायता में वकील प्राप्त कर सकते हैं।

17. मेरे आवेदन को विधिक सेवा संस्थानों के समक्ष जमा करने के बाद क्या प्रक्रिया है?

पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तालुका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर मौजूद प्राधिकरण व विधिक सेवा समितियों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

एक बार आवेदन उचित प्राधिकरण के समक्ष जमा करवा दिया जाता है, तो संबंधित विधिक सेवा संस्थान द्वारा उस पर क्या कार्रवाई आवश्यक है इसकी जांच की जाएगी यथा अधिवक्ता की आवश्यक, विधिक सलाह या परामर्श इत्यादि तद्नुसार अगले चरण के बारे में संबंधित पक्षों को जानकारी भेजी जाएगी।

प्राप्त आवेदन पर की गई कार्यवाही यथा पक्षकारों को परामर्श/ सलाह प्रदान करने से लेकर अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील प्रदान करने आदि तक भिन्न होगी।

❍❖❍

18. विधिक सहायता के लिए मेरा आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद क्या प्रक्रिया है?

विधिक सहायता के लिए एक बार आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद आवेदक को वकील नियुक्त किए जाने के बारे में सूचित किया जाता है। वकील नियुक्त करने का नियुक्तिपत्र भी जारी किया जाता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को प्रदान की जाती है। इसके बाद वकील जल्द से जल्द आवेदक से संपर्क करेगा इस दौरान आवेदक भी वकील से संपर्क कर सकता है।

❍❖❍

19. किसी आवेदन को निस्तारित करने और किसी व्यक्ति के मामले में निःशुल्क कानूनी सहायता वकील नियुक्त करने में औसत समय क्या लगता है?

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 7 (2) के अनुसार, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन पर निर्णय तुरंत और आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर होना चाहिए।

❍❖❍

20. क्या मुझे निःशुल्क कानूनी सहायता से वंचित किए जाने के आदेश पर अपील की जा सकती हैं?

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 7 (5) के अनुसार, कानूनी सेवाओं के लिए आवेदन का परीक्षण सदस्य-सचिव या सचिव द्वारा किया जाएगा और यदि कोई व्यक्तिअपने आवेदन पर लिए गए निर्णय से व्यथित है, तो उसके पास कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के समक्ष अपील करने का विकल्प है। अपील में प्रदान किया गया निर्णय अंतिम होगा।

21. क्या मुझे किसी भी चरण में व्यय वहन करना होगा?

नहीं, प्रक्रिया शुल्क, प्रारूपण शुल्क, टाइपिंग शुल्क, लिपिक शुल्क के साथ-साथ पैनल वकीलों की फीसें (मामला पूरा होने के दौरान या बाद में) कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा वहन की जाती है।

❍❖❍

22. मुझे अपने आवेदन की स्वीकृति, सफलता, असफलता आदि की सूचना कैसे प्राप्त होगी? इमेल, एसएमएस या कूरियर द्वारा?

एक बार संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच करने के बाद इसकी सफलता या विफलता की जानकारी आवेदक को निम्नलिखित तरीकों से दी जाती है:-

(क) यदि आवेदन किसी भी विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस में भौतिक रूप से किया गया था, तो आमतौर पर पत्राचार के लिए एक पता (आवासीय या इमेल) नोट किया जाता है और आवेदन के संबंध में जानकारी उसी पते पर भेजी जाती है।

(ख) यदि आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है, तो एक आवेदन संख्या उत्पन्न होती है तब आवेदक, आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रैक कर सकता है या संबंधित प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकता है।

❍❖❍

23. कानूनी सहायता कब अस्वीकार या वापस ली जा सकती है?

कानूनी सहायता के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने से पहले प्रारंभिक चरण में कानूनी सहायता से वंचित किया जा सकता है। आवेदन स्वीकार कर लिए जाने और कानूनी सहायता प्रदान किए जाने के बाद भी इसे बाद के चरण में वापस लिया जा सकता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में कानूनी सहायता वापस ली जा सकती है:-

(क) यदि कोई व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-12 के तहत अयोग्य पाया जाता है।

(ख) यदि आय वर्ग के तहत आवेदन करने वाले सहायता प्राप्त व्यक्ति के पास पर्याप्त धन पाया जाता है।

(ग) यदि सहायता प्राप्त व्यक्ति ने मिथ्या प्रतिनिधित्व या धोखाधडी द्वारा कानूनी सेवाएं प्राप्त की हैं।

(घ) यदि सहायता प्राप्त व्यक्ति प्राधिकरण या समिति द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के साथ सहयोग नहीं करता है।

(ड) यदि सहायता प्राप्त व्यक्ति प्राधिकरण/समिति द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के अलावा किसी अन्य अधिवक्ता को नियुक्त करता है।

(च) सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में कानूनी सहायता वापस ली जा सकती है, सिवाय उन मामलों में जहां अधिकार या दायित्व जीवित रहता है।

(छ) यदि विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति का मामला कानून की प्रक्रिया या कानूनी सेवाओं का दुरुपयोग हो।

❍❖❍

24. यदि मैं कानूनी सहायता के लिए नियुक्त वकील के आचरण से नाखुश हूं तो क्या प्रक्रिया है? क्या मैं उसकी शिकायत कर सकता हूं? क्या उसे बदला जा सकता है?

यदि आप कानूनी सहायता के लिए नियुक्त अपने वकील के आचरण से नाखुश हैं, तो आप उस प्राधिकरण को जिसने वकील नियुक्त किया है सादे कागज पर लिखकर एक औपचारिक शिकायत कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं या संबंधित प्राधिकरण की वेबसाईट पर Grievance Redressal विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। शिकायत में वकील के साथ आ रही आपकी समस्या का विवरण होना आवश्यक है।

2010 के विनियम 8 (14) के अनुसार कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर पैनल अधिवक्ता से मामला वापिस लिया जा सकता है तथा विनियम 8 (17) के अनुसार यदि पैनल अधिवक्ता अधिनियम और विनियम के उद्देश्यों व भावना के प्रतिकूल कार्य कर रहा है या उसकी सेवाएं संतोषजनक नहीं है तो भी उसका मामला वापिस लिया जा सकता है या पैनल से पृथक किया जा सकता है।

25. क्या प्राधिकरण केवल विधिक सहायता प्रदान करता है?

नहीं। प्राधिकरण विधिक सहायता के अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों के लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। यह लोक अदालत, मध्यस्थता आदि जैसे वैकल्पिक विवाद निस्तारण के माध्यम से विवादों के निस्तारण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा निम्न तरीकों से कानूनी साक्षरता और जागरूकता भी फैलाता है। जैसे:-

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करके।

(ख) प्रिंट मीडिया जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से, कानूनी सहायता साहित्य तैयार करना और प्रकाशित करना।

(ग) वकीलों, छात्रों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों जैसे कानूनी प्रणालियों के विभिन्न कार्याधिकारियों के लिए कानूनी विषयों पर कार्यशालाओं की व्यवस्था करना।

(घ) क्षेत्र सर्वेक्षण करना।

(ड) रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि जैसे डिजिटल मास मीडिया का उपयोग करके आम जनता के बीच कानून के बारे में जागरूकता पैदा करना।

26. क्या प्राधिकरण समुदाय के व्यक्तियों के साथ काम करता है?

हां, प्राधिकरण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से स्वयंसेवकों जिन्हें पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी कहा जाता है को शामिल करता है, जैसे :- सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, आंगनवाडी कार्यकर्ता, अच्छी शैक्षिक योग्यता वाले और लंबी अवधि की सजा भुगत रहे शिक्षित कैदी। चूंकि वे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वे विधिक सेवा प्राधिकरणों और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी सेवाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, हकदार वर्गों के लिए सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करें, कानूनी जागरूकता की उच्च दर प्राप्त करें, जिससे सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो।
उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा बुनियादी कानूनी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

❍❖❍

27. निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति सहायता या आवेदन के लिए प्राधिकरण/समिति से किस समय सम्पर्क कर सकता है?

निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्तिविधिक सेवा प्राधिकरणों से उनके कार्यालय समय के भीतर, जो उनकी संबंधित वेबसाइटों पर देखा जा सकता है सम्पर्क कर सकता है यद्यपि, ऑनलाइन आवेदन दिन के किसी भी समय या रात में भी किया जा सकता है, क्योंकि वेबसाइट चौबीसों घंटे चालू रहती है।

RSLSA Help Line
9928900900

All India Help Line
15100

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,.....

विधिक सहायता की स्वीकृति के लिए आवेदन–पत्र

प्रकरण: सिविल/फौजदारी/अन्य

(विधिक सहायता हेतु आवेदन सम्बन्धित DLSA को प्रेषित किया जावे, जो रोस्टर के अनुसार प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अधिवक्ता नियुक्त करेगा)

(आवेदक द्वारा किसी भी अधिवक्ता को किसी भी प्रकार की फीस व खर्चे का भुगतान नहीं किया जावेगा)

प्रार्थी अपनी पास–पोर्ट साईज फोटो यहां संलग्न करें।

1. नाम आवेदक :
2. आवेदक का स्थायी पता :
3. सम्पर्क पता :
4. मोबाईल एवं ई–मेल आई. डी. :
5. क्या आवेदक अधिनियम की धारा–12 में वर्णित व्यक्तियों के प्रवर्ग से है :
6. आवेदक का आधार नम्बर/वोटर कार्ड नम्बर/अन्य पहचान पत्र का नं. :
7. आवेदक की मासिक आय एवं आय का स्त्रोत :
8. क्या अधिनियम की धारा–12 के अधीन आय/पात्रता समर्थन में शपथ–पत्र/सबूत दिया गया है :
9. अपेक्षित विधिक सहायता या सलाह की प्रकृति :
10. मामले का संक्षिप्त विवरण, यदि न्यायालय आधारित विधिक सेवा अपेक्षित है :

न्यायालय का नाम.....

प्रकरण संख्या.....

पुलिस थाना.....

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....

अपराध अन्तर्गत धारा..... :

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं। मैं निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्राप्त करने का हकदार हूँ। वर्तमान समय में मेरे प्रकरण की पैरवी करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। मैं बिना DLSA की सहमति के अन्य अधिवक्ता नियुक्त नहीं करूंगा।

स्थान :–

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:–

नोट: 1. इस प्रार्थना–पत्र के साथ जाति–प्रमाण/ आय प्रमाण–पत्र/ आय प्रमाण–पत्र के अभाव में अपनी आय बाबत अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत करें।

2. इस प्रार्थना–पत्र के साथ प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत करें।

प्रार्थना पत्र अग्रेषणकर्त्ता प्राधिकारी :

उक्त जानकारी आवेदक द्वारा दी गई है और प्रकरण न्यायालय में प्रकरण सं.....

पेशी दि.....को लम्बित है।

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

मुफ्त कानूनी सलाह
आपका अधिकार, हमारा कर्त्तव्य

कानूनी सहायता हेतु सम्पर्क कहां करें ?

- नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर : 15100 पर सम्पर्क करें ।
- जिला न्यायालय परिसर में फ्रंट ऑफिस से संपर्क करें ।
- DLSA राजसमन्द हेल्पलाईन नंबर : 8306002735 पर संपर्क करें ।
- DLSA राजसमन्द के सोशल मीडिया प्लेट फार्म द्वारा
- नालसा लीगल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करके ।
- नालसा वेबसाइट : https://nalsa.gov.in
- RALSA वेबसाइट www.rlsa.gov.in

" अब न्याय से न कोई वंचित होगा, चाहे कितना भी निर्धन होगा"

हेल्पलाइन नम्बर

नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, रालसा हेल्पलाइन नंबर 9928900900

अजमेर : 8306002101	अलवर : 8306002102
बालोतरा : 8306002103	बांसवाड़ा : 8306002104
बारां : 8306002105	भरतपुर : 8306002106
भीलवाड़ा : 8306002107	बीकानेर : 8306002108
बूंदी : 8306002109	चूरू : 8306002110
चित्तौड़गढ़ : 8306002112	दौसा : 8306002114
धौलपुर : 8306002115	डूंगरपुर : 8306002116
हनुमानगढ़ : 8306002118	जयपुर मेट्रो I : 8306002119
जयपुर मेट्रो II : 8306002220	जयपुर जिला : 8306002120
जैसलमेर : 8306002123	जालोर : 8306002126
झालावाड़ : 8306002127	झुंझुनूं : 8306002128
जोधपुर मेट्रो : 8306002021	जोधपुर जिला : 8306002129
करौली : 8306002130	कोटा : 8306002131
मेड़ता सिटी : 8306002132	पाली : 8306002166
प्रतापगढ़ : 8306002134	राजसमन्द : 8306002135
सवाई माधोपुर : 8306002136	सीकर : 8306002137
सिरोही : 8306002138	श्री गंगानगर : 8306002117
टोंक : 8306002139	उदयपुर : 8306002022

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

फोन : 02952-294498 । हेल्पलाइन नं. 8306002135

ई-मेल : dlsa30rajsmand@gmail.com

VISIT US ON: DLSA RAJSAMAND

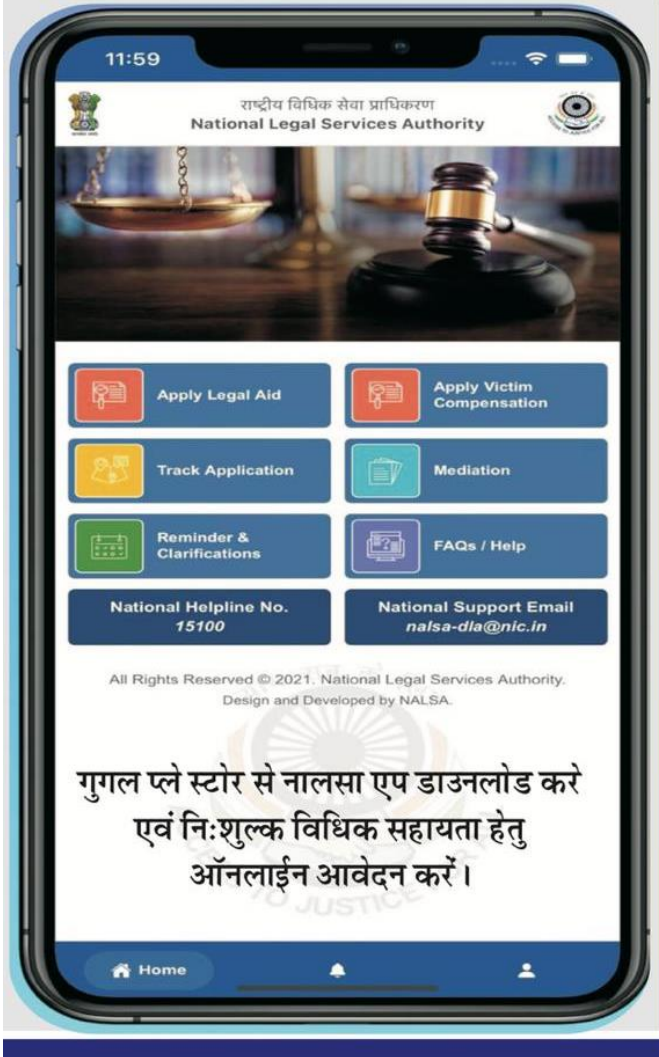
11:59
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
National Legal Services Authority
Apply Legal Aid
Apply Victim Compensation
Track Application
Mediation
Reminder & Clarifications
FAQs / Help
National Helpline No.
15100
National Support Email
nalsa-dla@nic.in
All Rights Reserved © 2021. National Legal Services Authority.
Design and Developed by NALSA.
गुगल प्ले स्टोर से नालसा एप डाउनलोड करे
एवं नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु
ऑनलाईन आवेदन करें।
Home

निःशुल्क विधिक सहायता हेतु सम्पर्क करें

NALSA HELPLINE

15100

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

फोन : 02952-294498 । हेल्पलाइन नं. 8306002135

ई-मेल : dlsa30rajsmand@gmail.com

VISIT US ON: DLSA RAJSAMAND

"अब न्याय से न कोई वंचित होगा, चाहे कितना भी निर्धन होगा ।